न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—201/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/201)

1. शम्भूसिंह पुत्र फतेहसिंह कौम राजपूत निवासी अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. नन्दसिंह पुत्र फतेहसिंह कौम राजपूत निवासी अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्रीमती मानकंवर पुत्री श्री फतेहसिंह कौम राजपूत निवासी अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 3129/2015

उपस्थितः—

1. श्री आशिष जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3129/2015 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। पत्रावली में दिनांक 27.01.2017 तक प्रतिवादीगण को जवाब हेतु मौका दिया गया। प्रतिवादी 1 का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नियत कर अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.5.2018 द्वारा वादी का दावा स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3129/2015 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना तनकीयात कायम किये प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नियत कर अप्रार्थी संख्या 1 का वाद प्राथमिक डिक्री करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं हो सकी। चूंकि प्रार्थी अत्यधिक बुजुर्ग, अशिक्षित ग्रामीण होकर अधिकतर बीमार रहता है जो पूर्णतया अपने अभिभाषक पर ही निर्भर था तथा अभिभाषक द्वारा भी उक्त आदेश की कोई जानकारी प्रार्थी को प्रदान नहीं की। उक्त जानकारी दिनांक 5.6.2023 को हुई जब विपक्षी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया एवं उसके पक्ष में आदेश होने बाबत कहा जिस पर प्रार्थी जानकारी हेतु न्यायालय गया तथा जानकारी की तथा आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 7.6.2023 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो उसी दिन प्राप्त की तथा पुनः गांव जाकर फीस आदि का प्रबन्ध कर दिनांक 20.6.2023 को अजमेर आया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जिन्होंने अविलम्ब उक्त अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अंदर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना भी नहीं की गई जिसमें तनकीयात तथा ईश्यू वाईज निर्णय की पालना भी नहीं की गई जिसकी पालना किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण की ना तो बहस सुनी गई तथा ना ही साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भी खुली अवहेलना की गई। लोक अदालत में केवल वही मामले निर्णित किए जाते है जो प्रकरण केवल सहमति/राजीनामे के आधार पर निर्णित किए जा सकते हो। लेकिन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलांट को बिना सुने तथा बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए जिस तरीके से आदेश पारित किया वह विधि विरूद्ध है। प्रकरण में दावा अंतर्गत धारा 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था जिसमें तनकीयात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था परंतु उसके बावजूद एक्स पार्टी में पारित आदेश विधि विरूद्ध है। प्रकरण में वादी के द्वारा उसकी बहन सम्पत कंवर के हक त्याग को आधार बनाकर उसके हिस्से की जमीन को अपने में शामिल करने के लिए दावा प्रस्तुत किया परंतु फतेहसिंह की मृत्यु के बाद चूंकि जमाबंदी में नाम दोनों पुत्रों का ही इन्द्राज किया गया था चूंकि जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सम्पत कंवर को हक त्याग करने का अधिकार भी नहीं था तथा उसके द्वारा उसका हिस्सा नहीं मिलने का जब दावा हीं नहीं किया गया तो आज वादी के पक्ष में दावे को डिक्री करते हुए दिया गया आदेश निरस्तनीय है। वादी के द्वारा जिन आधारों पर दावा पेश किया गया वह दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंदर मानते हुए बहन का हिस्सा घोषित करवाने के लिए लाया गया था परंतु दावे में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कहीं भी हवाला नहीं दिया गया। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं था परंतु इसके बावजूद जिस तरीके से दावे को डिक्री किया गया वह आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3129/2015 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2018 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 177 में दर्ज खसरा नम्बर 376, 449, 451, 452 किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा था। वादी की बहन संपत कंवर ने वादी के हक में स्वयं का 1/4 हिसा हकत्याग कर दिये जाने से अब वादी 1/2 हिस्से का मालिक कब्जे कश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण 1 व 2 आये दिन वादी के 1/2 हिस्से को लेकर बाधा उत्पन्न करते रहते हैं एवं लडाई–झगडा करते है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वादपत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर हिस्सा

संभलाया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 28.05.2018 को डिक्री किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वाकै ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 177 में दर्ज खसरा नम्बर 376, 449, 451, 452 किता 4 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.03.2018 को तीन तनकीयात मय अनुतोष निर्मित किए गए परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण बिना तनकीयात का विस्तृत विवेचन किए गए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश **सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 20 नियम 5** के विपरीत पारित किया गया है, जिसके अनुसार *" न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।"* इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर ली गई थी परंतु उन तनकीयात पर बिना साक्ष्य लिए प्रकरण में बिना तनकीयों का विवेचन किए निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रत्येक तनकी पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दावे में तनकीयात तो बनाए है परंतु किसी भी तनकी पर विवेचना नहीं की है तथा दावा डिक्री कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में विचारण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की है।

2011(2)आरआरटी 763

Passing of judgment issuewise is mandatory u/order 20 rule 5 c.p.c.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कोर्ट केम्प कादेडा में किया गया है। जबकि कोर्ट केम्प में केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 ही उपस्थित हुए उनके आदेशिका में हस्ताक्षर है जबकि अपीलांट की उपस्थिति बाबत आदेशिका में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों के मध्य सहमति/राजीनामा हो व दोनों पक्ष कैम्प कोर्ट में उपस्थित हो परंतु वर्तमान प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा या सहमति नहीं थी व उक्त प्रकरण में

केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 ही उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 में प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3129/2015 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर